कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 27/11/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 26.11.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 गैंग सरगना स्व० मुख्तार अंसारी की पत्नी / सहयोगी व गिरोहबन्द अपराधी आफसा अंसारी द्वारा अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 02 करोड रुपये है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत **धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत IS-191 गैंग सरगना स्व० मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी** द्वारा अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति फ्लैट नं0 1402 चेल्सिया टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत 02 करोड़ रुपये है, को आज दिनांक 26.11.2024 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता आफसा अंसारी उपरोक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि FLUME PETROCHEMS PVT LTD के नाम से क्रय किया गया है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। अभियुक्ता व इसके गिरोह सदस्यों व आपराधिक सहयोगियों एवं धन के समायोजकों द्वारा विभिन्न कम्पनियों Glorize Landdevelopers Pvt Ltd, Aaghaaz Engineering Project Ltd व M/S Vikash Construction, Inizio Network Solution Pvt Ltd का संचालन किया गया तथा इनके माध्यम से अभियुक्ता व इसके आपराधिक सहयोगियों द्वारा संगठित अपराधों से अर्जित धन का अंतरण करते हुए चल-अचल सम्पत्तियां अपनें व अपनें गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अवैध सम्पत्तियाँ अर्जित की गयी हैं।

कुर्क की गयी भ-सम्पत्ति का विवरण -

दिनांक 09.06.2021 को FLUME PETROCHEMS PVT LTD के नाम से फ्लैट नं0 1402 चेल्सिया टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में क्रय किया गया, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत रू0 02 करोड़ (दो करोड़) है।

<u>अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु.अ.सं. 689/2020 धारा 120बी, 420, 423, 465, 467, 468, 471, 474, 477 (A) भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

2. मु.अ.सं. 724/2019 धारा 379, 447 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

3. मु.अ.सं. 667/2020 धारा 2,3 (1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली, गाजीपुर

4. मु.अ.सं. 96/2023 धारा 386, 406, 420, 506 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

5. मु.अ.सं. 404/2023 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

6. मु.अ.सं. 400/2023 धारा 120बी, 342, 386, 420 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर **7.** मु.अ.सं. 725/2019 धारा 379, 447 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

8. मु.अ.सं. 272/2022 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि० थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

9. मु.अ.सं. 227/2021 धारा 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 447 भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

<u>02. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’</u>

दिनांक 26.11.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-305/23 धारा 376(1), 452, 354क, 506 भदावि व 5एल/6, 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 1. सुनील प्रजापति पुत्र जवाहिर प्रजापति निवासी अन्धऊ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का कारावास व 40000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा करने न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। धारा 452 भदावि में 04 वर्ष का कारावास एवं 10000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 506 भदावि में 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

<u>03. थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 02 अदद इनवर्टर, 03 अदद बैटरी, 01 अदद वाशिंग मशीन ,01अदद जनरेटर, 02 अदद प्लास्टिक की कूलर, 02 अदद पुल्ली लोहे की, 01 अदद लोहे की साफ्टीन, दो अदद मोबाईल मल्टीमीडिया हैण्डसेट व नकद 16250 रूपये के साथ 03 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 कौशलेश शर्मा मय टीम द्वारा आज दिनांक 26.11.2024 को मु0अ0सं0 197/2024 व मु0अ0सं0 216/2024 व मु0अ0सं0 242/2024 व मु0अ0सं0 266/2024 व मु0अ0सं0 232/2024 मे चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 03 नफर

अभियुक्तगण 1. रियाज खान पुत्र मेराज खान* निवासी ग्राम डहरा कलां थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष 2. मिठाई उर्फ कौशल पुत्र स्व0 रामबली* निवासी ग्राम डहरा कलां थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष 3. शुभम बिन्द पुत्र महेन्द्र बिन्द निवासी पुरवा डहरा कलां थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष मय बरामद शुदा 02 अदद इनवर्टर, 03 अदद बैटरी, 01 अदद वाशिंग मशीन ,01अदद जनरेटर, 02 अदद प्लास्टिक की कूलर, 02 अदद पुल्ली लोहे की, 01 अदद लोहे की साफ्टीन, दो अदद मोबाईल मल्टीमीडिया हैण्डसेट व नकद 16250 रूपये बरामद हुआ। बरामद सामान मे से मु0अ0सं0 216/2024 से सम्बन्धित एक अदद जनरेटर, एक अदद इन्वर्टर , दो अदद कूलर, एक अदद वाशिंग मशीन को तथा मु0अ0सं0 242/2024 से सम्बन्धित दो अदद लोहे की पुल्ली तथा एक अदद साफ्टीन तथा मु0अ0सं0 266/2024 से सम्बन्धित दो अदद बैट्री व एक अदद इन्वर्टर तथा मु0अ0सं0 197/2024 से सम्बन्धित 12250/- रुपये व मु0अ0सं0 232/2024 से सम्बन्धित एक अदद बैट्री व 4000/- रुपये तथा चोरी के सामान को मैजिक पिकप मे रखे का नम्बर प्लेट देखा गया तो उस पर UP61BT4509 जिसके कागजात नही थे को सीज किया गया। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 197/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 216/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 242/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 266/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 232/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस के मुकदमो मे धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तगणों को हिरासत पुलिस में व माल को कब्जा पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-</u>

1. रियाज खान पुत्र मेराज खान निवासी ग्राम डहरा कलां थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष

2. मिठाई उर्फ कौशल पुत्र स्व0 रामबली निवासी ग्राम डहरा कलां थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष

3. शुभम बिन्द पुत्र महेन्द्र बिन्द निवासी पुरवा डहरा कलां थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1 - 02 अदद इनवर्टर

2. 03 अदद बैटरी

3. 01 अदद वाशिंग मशीन

4. 01अदद जनरेटर

5. 02 अदद प्लास्टिक की कूलर

6. 02 अदद पुल्ली लोहे की

7. 01 अदद लोहे की साफ्टीन

8. दो अदद मोबाईल मल्टीमीडिया हैण्डसेट

9. नकद कुल 16250 रूपये

<u>अपराधिक इतिहासः-</u>

<u>अभियुक्त रियाज खान व मिठाई उर्फ कौशल का अपराधिक इतिहास</u>

1 .मु0अ0सं0 197/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

2. मु0अ0सं0 216/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

3 . मु0अ0सं0 242/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

4. मु0अ0सं0 266/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

<u>अभियुक्त शुभम बिन्द का अपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0सं0 232/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर